अध्याय–I

सामान्य

अध्याय-I
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान जुटाए गए कर एवं गैर-कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान तथा राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों व शुल्कों की निवल आय का राज्यांश एवं विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका-1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व					
	कर राजस्व	4,626.17	5,120.91	5,940.16	6,695.81	7,039.05
	गैर-कर राजस्व	1,376.88	1,784.53	2,081.45	1,837.15	1,717.24
	योग	6,003.05	6,905.44	8,021.61	8,532.96	8,756.29
2.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	2,282.02	2,491.53	2,644.17	3,611.17	4,343.70[1]
	सहायता अनुदान	7,313.07	6,314.11	7,177.67	11,296.35	13,164.35
	योग	9,595.09	8,805.64	9,821.84	14,907.52	17,508.05
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)	15,598.14	15,711.08	17,843.45	23,440.48	26,264.34
4.	1 से 3 की प्रतिशतता	38	44	45	36	33

यह देखा गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व (₹8,756.29 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 33 प्रतिशत था। भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा सहायता-अनुदान के रूप में वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्तियों का शेष 67 प्रतिशत प्राप्त हुआ था। राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष पर ₹2,823.86 करोड़ की वृद्धि थी।

1.1.2 बज़ट आकलनों का ब्यौरा जुटाए गए कर राजस्व के साथ-साथ 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान नीचे दर्शाया गया है:

[1] विवरण के लिए कृपया वर्ष 2016-17 के हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में विवरणी संख्या-14-'लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का सविस्तृत विवरण' देखें। कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित आंकड़े, मुख्य प्राप्ति शीर्ष-0020-निगम कर, 0021-निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर, 0032-सम्पत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय आबकारी शुल्क तथा 0044-सेवा कर तथा 0045- अन्य कर एवं सेवाओं तथा उपयोगी वस्तुओं पर कर उप शीर्ष-901-क-कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित राज्य को समनुदेशित निवल आगमों के अंश के अंतर्गत आंकड़े जुटाए गए राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा विभाज्य संघीय करों के राज्यांश में सम्मिलित किए गए।

तालिका-1.2: जुटाए गए कर राजस्व का विवरण

₹ करोड़ में

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2016-17 में वृद्धि (+) या कमी (-) 2015-16 वास्तविक के प्रति प्रतिशतता
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	
1.	बिक्री एवं व्यापार पर कर	3,161.57	2,728.22	3,232.90	3,141.10	3195.62	3660.57	3,937.01	3,992.99	4,715.67	4,381.91	10
2.	राज्य आबकारी	800.14	809.87	949.46	951.96	940.74	1,044.14	1,137.73	1,131.22	1,274.26	1,307.87	16
3.	मोटर वाहन कर	215.39	196.13	246.88	207.81	214.14	220.10	227.15	317.05	305.73	279.58	(-) 12
4.	स्टाम्प शुल्क	159.05	172.61	201.22	187.50	209.11	190.58	215.40	205.52	247.77	209.16	2
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	217.03	262.63	248.77	191.36	262.01	332.82	308.45	551.06	339.30	371.67	(-) 33
6.	भू-राजस्व	4.01	23.60	4.00	9.98	15.12	16.88	15.66	7.43	18.01	7.64	3
7.	अन्य	500.23	433.11	489.76	431.20	386.56	475.07	499.39	490.54	568.64	481.22[2]	(-) 2
योग		**5,057.42**	**4,626.17**	**5,372.99**	**5,120.91**	**5,223.3**	**5,940.16**	**6,340.79**	**6,695.81**	**7,469.38**	**7,039.05**	**5**

स्रोत: वित्त लेखे

यह देखा गया कि राज्य सरकार के कर राजस्व में 2012-13 में ₹4,626.17 करोड़ से 2016-17 में बढ़कर ₹7,039.05 करोड़ हो गया। बिक्री एवं व्यापार पर कर (62 प्रतिशत) एवं राज्य आबकारी (19 प्रतिशत) राज्य करों के मुख्य योगदानकर्त्ता थे। पिछले पांच वर्षों में भू-राजस्व ₹23.60 करोड़ से गिरकर ₹7.64 करोड़ हो गया। सम्बंधित विभागों ने वर्ष के दौरान भिन्नता के लिए निम्नांकित कारण प्रतिवेदित किये:

बिक्री और व्यापार पर कर: बेहतर कर प्रशासन, पुराने बकायों की वसूली तथा इलैक्ट्रोनिक एन्र्जी मीटरों पर प्रवेश कर की दरों में बढ़ौतरी के कारण वृद्धि हुई थी। इसके अतिरिक्त,फरवरी 2017 से ई-कॉमर्स पर प्रवेश कर को उद्ग्रहण करना था।

राज्य आबकारी: आधार मूल्य की तुलना में प्रतिस्पर्धी बोलीकर्त्ताओं द्वारा बिक्री केन्द्रों की नीलामी शुरू करते ही उच्चत्तर मूल्यों पर बोली लगाने तथा वार्षिक लाइसेंस फीस/नवीकरण फीस एवं सभी नियत की गई फीसों में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी करने के कारण वृद्धि हुई।

गैर-कर राजस्व उद्ग्रहण का विवरण 2012-13 से 2016-17 की अवधि को नीचे दर्शाया गया है:

[2] कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित आंकड़े, मुख्य राजस्व शीर्ष - "0042-माल एवं यात्री कर": ₹121.37 करोड़ तथा "0045- अन्य कर एवं सेवाओं तथा उपयोगी वस्तुओं पर कर": ₹359.85 करोड़ के अंतर्गत राशियां ।

तालिका-1.3: जुटाए गए गैर कर राजस्व का विवरण

₹ करोड़ में

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2016-17 में वृद्धि (+) या कमी (-) वास्तविक के प्रति प्रतिशतता
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	
1.	विद्युत	1,243.00	637.15	1,470.25	696.29	605.00	1,121.51	650.00	923.68	700.00	650.93	(-) 30
2.	ब्याज प्राप्तियां	125.56	69.90	176.44	118.61	69.96	100.93	70.93	93.84	78.25	145.56	55
3.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	137.94	147.90	151.10	114.08	140.00	161.52	140.00	155.08	168.00	176.22	14
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	75.31	63.90	86.45	357.83	73.16	115.78	73.16	34.47	87.79	18.50	(-) 46
5.	लोक निर्माण कार्य	38.89	39.72	42.59	34.75	43.44	34.13	45.97	43.00	50.57	54.60	27
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	33.39	45.71	35.09	25.95	35.79	35.57	36.74	32.81	40.41	42.63	30
7.	पुलिस	21.03	20.63	29.57	34.65	38.16	39.83	47.78	48.53	56.47	50.50	4
8.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7.13	11.21	8.59	5.04	11.86	3.35	8.67	5.72	9.54	10.71	87
9.	सहकारिता	3.46	3.24	4.48	15.30	3.66	8.67	2.90	14.77	2.90	12.51	(-) 15
10.	विविध सामान्य सेवाएं	1.87	8.94	1.99	5.65	2.12	3.41	2.18	19.37	2.40	2.35	(-) 88
11.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	0.81	0.33	0.81	0.37	0.81	0.17	0.89	0.21	0.98	0.39	86
12.	अन्य गैर करप्राप्तियां	314.21	328.25	385.18	376.01	364.83	456.58	427.96	465.67	470.80	552.34[3]	19
योग		**2,002.60**	**1,376.88**	**2,392.64**	**1,784.53**	**1,388.79**	**2,081.45**	**1,507.18**	**1,837.15**	**1,668.11**	**1,717.24**	**(-) 7**

स्रोत: वित्त लेखे

यह पाया गया कि गैर-कर राजस्व वर्ष 2015-16 में ₹1,837.15 करोड़ से गिरकर 2016-17 में ₹1,717.24 करोड़ हो गया। संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान विभिन्नता के निम्नांकित कारण प्रतिवेदित किये थे:

विद्युत: राजस्व में वृद्धि वर्ष 2014-15 के दौरान पिछले वर्षों में मुफ्त विद्युत के बकाया को जमा करवाने, मुफ्त विद्युत की कम आपूर्ति तथा अन्य राज्यों का अधिक बिजली की बिक्री करने के कारण थी। जबकि विद्युत के बिक्री मूल्य में 2015-16 के ₹2.95 प्रति इकाई से घटकर 2016-17 में ₹2.66 प्रति इकाई होने के कारण आय में कमी थी।

अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग: मुख्य एवं लघु खनिज़ों की रॉयल्टी दरों में बढ़ौतरी तथा खनिज़ों की अधिक खपत/उपयोग के कारण इनका अधिक दोहन करने के कारण आय में वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पट्टाधारियों ने खनन पट्टा के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के उपरान्त खनन गतिविधियों को आरम्भ कर दिया था।

पुलिस: प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन चलाने के लिए जारी किये गए सड़क परमिटों के लिए लाइसेंस फीस की प्राप्तियों और बकायों एवं शुल्कों तथा लम्बित वसूलियों के भुगतान करने के कारण वृद्धि थी।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य: औषधियों के निर्माण एवं विविध प्राप्तियों तथा निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियामक संस्थान के द्वारा राजस्व प्राप्तियों को सरकारी राजकोष में जमा करने के कारण वृद्धि थी।

[3] विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

सहकारिता: राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली, द्वारा प्रदेश में चल रही एकीकृत सहकारिता विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संचालन हेतु राज्य सरकार को कम अनुदान की प्रतिपूर्ति कमी का कारण था ।

अन्य विभागों ने विगत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में विविधता के लिए कारण सूचित नहीं किए थे (दिसम्बर 2017)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों में 31 मार्च 2017 को राजस्व के बकाया की राशि ₹3,554.30 करोड़ थी जिसमें से ₹170.67 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.4: राजस्व का बकाया

₹ करोड़ मे

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2017 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2017 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री और व्यापार पर कर	2,984.08	119.43	भू-राजस्व बकाया के रूप में ₹2,560.40 करोड़ बकाया वसूली हेतु प्रेषित किया गया था, ₹88.95 करोड़ न्यायालय द्वारा रोका गया, ₹16.56 करोड़ सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो से वसूली योग्य थी, ₹24.11 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹55.47 करोड़ अपील के अंतर्गत लंबित थी। ₹238.59 करोड़ अन्यों से वसूली योग्य थी।
2.	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एंव लघु सिंचाई	288.27	0.0	कुल बकाया में से जलापूर्ति हेतु ₹277.10 करोड़ नगर निगम/ समितियों तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों, ₹8.75 करोड़ तथा ₹77 लाख क्रमश: गैर-सरकारी निकायों व सरकारी विभागों तथा ₹1.65 करोड़ लघु सिंचाई से सम्बंधित थे।
3.	राज्य आबकारी	86.40	13.22	भू-राजस्व बकाया के रूप में ₹44.70 करोड़ बकाया वसूली हेतु प्रेषित किया गया, ₹4.53 करोड़ न्यायालय द्वारा रोका गया था, ₹1.04 करोड़ सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो से वसूली योग्य थी, ₹35.91 करोड़ बोलीकर्त्ताओं/लाइसेंसधारकों/अन्यों से वसूली योग्य तथा ₹22 लाख़ बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित थे।
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	68.09	14.89	ठेकेदारों एवं भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल करने हेतु ₹2.78 करोड़ का बकाया समाहर्ता को भेजे गए मामलों से संबंधित थी, इनमें से कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन थे। हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय विकास निगम लिमिटेड़ से वसूली योग्य ₹65.05 लाख तथा ₹25.80 लाख की राशि अन्य सरकारी विभागों से संबंधित थी।
5.	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	65.75	12.71	₹39.26 करोड़ का बकाया भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु प्रेषित किया गया था, ₹9.43 करोड़ को न्यायालय द्वारा रोका गया था, ₹5.65 करोड़ की राशि अपील के अंतर्गत लंबित थी तथा ₹11.41 करोड़ की राशि अन्यों से वसूली योग्य थी।
6.	पुलिस	39.37	0.30	बकाया वर्ष 1971-72 से संचित था। इसमें से ₹28.96 लाख की राशि जे. पी. सीमेंट प्लॉट लिमिटेड़ से संबंधित थी, ₹2.90 लाख विभिन्न न्यायालयों से संबंधित थी, ₹5.57 करोड़ बी.बी.एम.बी. से संबंधित थी तथा शेष राशि ₹33.48 करोड़ अन्य विभागों/संस्थानों से संबंधित थी।
7.	ग्राम तथा लघु उद्योग	8.48	2.41	बकाया वर्ष 1989-90 से संचित था। बकाया प्लॉट्स (औद्योगिक क्षेत्र) के प्रीमियम आदि से सम्बंधित हैं।

8.	माल एवं यात्री कर	7.06	6.29	कुल बकाया में से ₹3.37 करोड़ को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु प्रेषित किया गया था, ₹12.00 लाख को न्यायालय द्वारा रोका गया था, ₹11.17 लाख की राशि सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डों से वसूली योग्य थी ₹7.00 लाख को बट्टे खातें मे डालने हेतु प्रस्तावित किया गया तथा ₹3.39 करोड़ अन्यों से वसूली योग्य थी।
9.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.53	0.59	बकाया वर्ष 1999 से संचित था। ₹1.85 करोड़ का बकाया निगमों/ बोर्डो/उपक्रमों से, ₹3.56 करोड़ सरकारी विभागों से तथा ₹12.41 लाख एन.आर.एच.एम. से वसूली योग्य थे।
10.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	0.79	0.57	बकाया वर्ष 1970-71 से संचित था। बकाया रॉयल्टी/ड्रिलिंग प्रभारों आदि की वसूली के संदर्भ में खनन कार्यालयों और आहरण तथा संवितरण अधिकारी (मुख्यालय) भू-गर्भ स्कंध उद्योग निदेशालय से संबंधित था।
11.	लोक निर्माण कार्य	0.24	0.17	बकाया आवासीय तथा गैर-आवासीय इमारतों से संबंधित है।
12.	उद्योग	0.22	0.09	बकाया वर्ष 1980-81 से संचित था। बकाया रेंट शेड्स (औद्योगिक परिसंपति), सरकारी आवास के किराये/मलबरी पौधों आदि की बिक्री से प्राप्ति से संबंधित था।
13.	सहकारिता	0.02	0.0	बकाया वसूलीयोग्य लेखापरीक्षा फीस से संबंधित था।
योग		**3,554.30**	**170.67**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1.3 निर्धारणों में बकाया

बिक्री कर, मोटर स्प्रिट कर, विलास कर तथा संविदा कार्यों संविदाओं पर करों के संदर्भ में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा, वर्ष के प्रारम्भ में बकाया मामले, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय मामलों, निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लम्बित मामलों की संख्या का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.5: निर्धारणों में बकाया

राजस्व शीर्ष	आदि शेष	2016-17 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये मामले	कुल देय निर्धारण	2016-17 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (स्तंभ 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री तथा व्यापार पर कर	1,47,812	70,893	2,18,705	39,397	1,79,308	18
विलास कर	3,413	2,541	5,954	2,401	3,553	40
संविदा कार्यों पर कर	2,150	420	2,570	1,300	1,270	50
मोटर स्प्रिट कर	27	28	55	27	28	49
योग	**1,53,402**	**73,882**	**2,27,284**	**43,125**	**1,84,159**	**19**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

बिक्री तथा कर विभाग के संदर्भ में कर निर्धारण मामलों का निपटान अत्यंत निम्न था।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाये गये कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गये मामले तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया, नीचे उल्लिखित किया गया है:

तालिका-1.6: कर अपवंचन

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2016 तक लम्बित मामले	2016-17 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित लगाई गई अतिरिक्त मांग		31 मार्च 2017 तक अंतिम रूप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री तथा व्यापार पर कर	83	13,452	13,535	13,379	55.80	156
2.	राज्य आबकारी	33	359	392	330	1.59	62
3.	यात्री एवं माल कर	16	11,424	11,440	11,115	4.97	325
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	9	1,853	1,862	1,765	5.25	97
योग		**141**	**27,088**	**27,229**	**26,589**	**67.61**	**640**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

यह देखा गया कि कुल 27,229 मामलों में से विभाग ने 26,589 मामलों में निर्धारण पूर्ण कर लिया था तथा ₹67.61 करोड़ की अतिरिक्त मांग की थी। वर्ष के दौरान लम्बित पड़े मामलों की संख्या में 141 से 640 की वृद्धि हुई।

1.5 धन वापसी के मामले

विभाग द्वारा प्रतिवेदित वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में लम्बित धन वापसी सम्बंधित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत धन वपिसी मामले तथा वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर लम्बित मामलों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.7: प्रत्यर्पण मामलों का विवरण

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	49	19.65	18	0.33
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	187	28.27	18	0.62
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	194	26.23	17	0.42
4.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	42	21.69	19	0.53

स्रोत: विभागीय आंकड़े

वर्ष के प्रारम्भ में बकाया पड़े मामलों की तुलना में वर्ष के अन्त में बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर के बकाया मामलों में कमी आई तथा राज्य आबकारी में थोड़ी वृद्धि हुई।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश लेनदेनों की नमूना जांच करने और महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है जैसा कि नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित है। इन निरीक्षणों का निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई अनियमिताओं, जिनका मौके पर निपटान नहीं हो पाता, से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा अनुसरण किया जाता है जो निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को जारी किये जाते हैं तथा इनकी प्रतियां अगले उच्चत्तर प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं, ताकि तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। कार्यालयाध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट प्रेक्षणों पर शीघ्र अनुपालना निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर करवाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि दिसम्बर 2016 तक जारी किए गए पिछले दो वर्षो के तदनुरूपी आंकड़ो सहित जून 2017 के अंत तक 2,582 निरीक्षण प्रतिवेदनके संबंध में ₹1,817.56 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 7,764 पैराग्राफ बकाया पड़े हुए थे जैसा कि नीचे तालिका 1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.8: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2015	जून 2016	जून 2017
निपटान के लिए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,509	2,549	2,582
बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	7,150	7,512	7,764
अंतर्ग्रस्त राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1,099.13	1,512.30	1,817.56

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा उनमें अंतर्ग्रस्त राशि का 30 जून 2017 तक बकाया विभागवार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.9: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	प्राप्तियों का स्वरूप	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री तथा व्यापार पर कर	132	945	364.52
		राज्य आबकारी शुल्क	59	267	217.55
		यात्री व माल कर	182	375	294.36
		वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	109	141	7.14
		मनोरंजन तथा विलास कर आदि	54	107	10.01
2.	राजस्व	भू-राजस्व	228	452	190.41
		स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	605	1,270	56.96
3.	परिवहन	मोटर वाहन कर	669	2,548	277.76
4.	वन तथा पर्यावरण	वन प्राप्तियां	544	1,659	398.85
योग			**2,582**	**7,764**	**1817.56**

कार्यालयाध्यक्षों से 2016-17 के दौरान 138 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 120 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बंध में लेखापरीक्षा के चार सप्ताह के अनुबद्ध समय के भीतर प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों के प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह अधिक लम्बन इस तथ्य को इंगित करता है कि प्रधान महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित दोषों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर कार्यान्वित कार्रवाई का अभाव कमजोर जबावदेही एवं राजस्व की अपरिहार्य हानि के जोखिम को बढ़ावा देती है। लेखापरीक्षा पैराग्राफके लम्बित मामलों की संख्या का निरतंर बढ़ना सरकार का मामलो का अनुश्रवण करने तथा उनकी अनुपालना की संवीक्षा एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के समायोजन हेतु प्रभावशाली तंत्र को सुनिश्चित करने की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफके अनुश्रवण तथा निपटान की प्रगति में तीव्रता लाने के लिए लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया। वर्ष 2016-17 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए पैराग्राफ का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.10: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

क्रमांक	विभाग	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	लम्बित पड़े पैराग्राफ की संख्या	निपटाए गए पैराग्राफ की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	राजस्व विभाग	1	1,320	55	0.11
2.	राज्य आबकारी विभाग	1	2,049	245	1.10
3.	परिवहन विभाग	1	2,594	74	1.42
4.	वन विभाग	1	1,532	51	3.63
योग		**4**	**7,495**	**425**	**6.26**

राजस्व, राज्य आबकारी, परिवहन एवं वन विभागों के संदर्भ में 2016-17 के दौरान आयोजित की गई चार लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में लम्बित पड़े 7,495 पैराग्राफ में से ₹6.26 करोड़ से अंतर्गस्त 425 पैराग्राफ (5.67 प्रतिशत) का समायोजन किया गया था।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को सभी विभागों में एक नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना चाहिए ।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफ के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफ को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस अनुरोध के साथ भेजे जाते हैं कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रेषित करें। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे पैराग्राफ के अंत में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाता है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 25 प्रारूप पैराग्राफ जून तथा जुलाई 2017 के मध्य सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को भेजे गये थे। विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों ने छः प्रारूप पैराग्राफ के उत्तर नहीं दिये थे तथा उन्हें सरकार की प्रतिक्रिया के बिना इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। तथापि, विभाग के उत्तर जहां भी प्राप्त हुए थे, प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित कर दिये गए है।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति में निर्धारित है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के भीतर सरकार द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। तथापि, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां विलंबित थी। हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2012, 2013, 2014 तथा 2015 को समाप्त वर्षों के लिए प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 127 पैराग्राफ (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को 9 अप्रैल 2013 तथा 7 अप्रैल 2016 के मध्य विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इनमें से प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बंध में सम्बद्ध विभागों से इन पैराग्राफ पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां क्रमशः 12, 14, 10 तथा सात मास के औसत विलम्ब से प्राप्त हुई थी। 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए नौ पैराग्राफ, राजस्व विभाग (चार पैराग्राफ) तथा वन विभाग (पांच पैराग्राफ) के संबंध में की गई कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2017)।

लोक लेखा समिति ने 2008-09 से 2012-13 के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित 18 चयनित पैराग्राफ पर चर्चा की। विभागों से संबंधित चर्चा किये गए पैराग्राफ पर लोक लेखा समिति की सिफारिशें अभी भी प्रतीक्षित थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैं:

तालिका-1.11: लोक लेखा समिति में चर्चा किये गए पैराग्राफ का विवरण

वर्ष	विभागों का नाम	पैराग्राफ की संख्या
2008-09	परिवहन एवं उद्योग	2
2009-10	परिवहन	4
2010-11	परिवहन एवं उद्योग	5
2011-12	परिवहन एवं उद्योग	4
2012-13	परिवहन एवं उद्योग	3
योग		**18**

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को निपटाने के लिए तंत्र का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागार किए गए मामलों को निपटाने के लिए अपनाई गई पद्धति का विश्लेषण करने हेतु आबकारी एवं कराधान विभाग के अन्तर्गत मुख्य प्राप्ति शीर्ष "0039-राज्य आबकारी" के पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफ तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया और उसको इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अनुवर्ती पैराग्राफ1.7.1 से 1.7.3 मुख्य राजस्व शीर्ष-'0039-राज्य आबकारी शुल्क' के अन्तर्गत राज्य आबकारी शुल्क के संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग के निष्पादन और 2016-17 तक विगत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा में अधिसूचित मामलों तथा 2007-08 से 2015-16 वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा करते हैं।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्य आबकारी से संबंधित 31 मार्च 2017 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफ की वस्तुस्थिति तथा उनकी सारांशित स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.12: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

₹ करोड़ में

वर्ष	आदि शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य
2007-08	69	170	12.32	14	59	2.23	2	16	0.41	81	213	14.14
2008-09	81	213	14.14	6	74	27.47	2	30	1.35	85	257	40.26
2009-10	85	257	40.26	15	95	6.79	21	75	13.48	79	277	33.57
2010-11	79	277	33.57	9	64	3.48	8	149	2.14	80	192	34.91
2011-12	80	192	34.91	8	55	1.41	9	46	24.14	79	201	12.18
2012-13	79	201	12.18	7	48	4.24	15	67	6.29	71	182	10.13
2013-14	71	182	10.13	7	55	12.13	16	36	5.08	62	201	17.18
2014-15	62	201	17.18	10	76	24.23	15	92	6.14	57	185	35.27
2015-16	57	185	35.27	9	73	23.17	10	71	8.18	56	187	50.26
2016-17	56	187	50.26	10	85	168.32	1	5	1.03	65	267	217.55
योग	**719**	**2,065**	**260.22**	**95**	**684**	**273.47**	**99**	**587**	**68.24**	**715**	**2,162**	**465.45**

यह देखा गया कि 2007-08 के प्रारम्भ में 170 पैराग्राफ सहित 69 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति 2016-17 के अंत तक 267 पैराग्राफ सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या घटकर 65 हो गई। निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गईं सम्बन्धित धन-मूल्य में ₹12.32 करोड़ से ₹217.55 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.7.2 स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पिछले 10 वर्षों के सम्मिलित पैराग्राफ जो आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा स्वीकार किए गए तथा वसूल की गई राशि की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

तालिका-1.13: स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

₹ करोड़ में

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित किए गए पैराग्राफ की संख्या	पैराग्राफ का मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किए गए पैराग्राफ की संख्या	स्वीकार किए गए पैराग्राफ की मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2017 को स्वीकृत मामलों की वसूली की संचित स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
2006-07	1	0.86	0	0.00	0.00	0.31
2007-08	3	1.27	2	1.25	0.48	1.14
2008-09	3	10.65	3	6.29	0.17	2.58
2009-10	4	1.47	2	0.07	0.03	0.78
2010-11	4	0.39	0	0.00	0.00	0.08
2011-12	3	0.22	1	0.07	0.00	0.11
2012-13	1	3.57	1	2.54	0.32	0.63
2013-14	7	4.28	3	2.97	1.89	2.98
2014-15	6	9.01	6	9.01	1.45	1.68
2015-16	8	16.68	6	16.05	2.58	2.58
योग	**40**	**48.40**	**24**	**38.25**	**6.92**	**12.87**

यह पाया गया कि विगत 10 वर्षों के दौरान स्वीकार किये गए मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी।

1.7.3 विभागों/सरकार द्वारा स्वीकार सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा संचालित की गई प्रारूप निष्पादन समीक्षाएं संबंधित विभाग/ सरकार को उनकी सूचना हेतु, उनके उत्तर उपलब्ध करवाए जाने के अनुरोध के साथ, अग्रेषित की जाती हैं। इन समीक्षाओं पर अंतिम सम्मेलन में भी चर्चा की जाती है और निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए समीक्षाओं को अंतिम रूप देते समय विभाग/सरकार के विचार सम्मिलित किये जाते हैं। प्राप्ति शीर्ष-*"0039-राज्य आबकारी शुल्क"* के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई और वर्ष 2008-09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई थी जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.14: सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का शीर्षक	निष्पादन लेखापरीक्षा में दी गई सिफारिशों की संख्या	टिप्पणियां
1.	2008-09	*'हिमाचल प्रदेश में आसवनियों की कार्यचालन पर शुल्क एवं फीस का संग्रहण'*	चार सिफारिशें	विभाग ने समस्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था तथा विभाग ने बताया कि उनको लागू करने हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के प्रभार के अंतर्गत एक आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष होता है। इस कक्ष को अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के साथ समय-समय पर विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित कार्य योजना तथा परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार निर्धारण के मामलों की नमूना-जांच करनी थी।

लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2016-17 के दौरान मात्र 11 इकाईयों की योजना बनाईं गई, आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने उसमें से 5 इकाईयों (45 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.15: आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा योग्य कुल इकाई	लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी
आबकारी एवं कराधान	13	11	5	6
योग	**13**	**11**	**5**	**6**

अध्याय दो से छः के पैराग्राफ में अनियमितताओं पर की गई चर्चा अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र के संकेत हैं क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अनियमितताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा नही देखा गया था।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखापरीक्षा इकाईयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की पूर्व प्रवृत्तियों तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व तथा कर प्रशासन के गंभीर मामले सम्मिलित होते हैं जो कि बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय के सांख्यिकी विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक, लेखापरीक्षा व्याप्ति से लिये होते हैं।

लेखापरीक्षा योग्य वर्ष 2016-17 के दौरान 350 इकाईयां थीं, जिनमें से 138 इकाईयां[4] निर्धारित की तथा इनकी लेखापरीक्षा की गई।

उपरोक्त उल्लिखित अनुपालना लेखापरीक्षा अतिरिक्त राजस्व प्राप्तियों की वसूली के संदर्भ में संबंधित विभागों की क्षमता को जांचने के लिए '***शराब की भट्ठियों के कार्यचालन सहित राज्य आबकारी विभाग का कार्यचालन***' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी आयोजित की गई थी।

1.10 लेखापरीक्षा परिणाम

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल व यात्री कर तथा वन प्राप्तियां की 138 इकाईयों के अभिलेखों की वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना-जांच से 832 मामलों में कुल ₹344.45 करोड़ का अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण/राजस्व हानि, इत्यादि उद्घाटित हुई। सम्बंधित विभागों ने वर्ष के दौरान 290 मामलों में ₹7.32 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें से 275 मामलों में ₹4.31 करोड़ की राशि की वसूली की गई उसमें से विगत

[4] इनमें 20 इकाईयां विलास कर, मनोरंजन कर एवं एम.पी. बैरियरों से संबंधित थी।

वर्षों के निष्कर्षों से संबंधित 269 मामलों में ₹4.30 करोड़ तथा छः मामलों में ₹1.09 लाख की राशि वर्ष 2016-17 के निष्कर्षों से संबंधित थी।

1.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹269.46 करोड़ के राजस्व प्रभाव से अंतर्ग्रस्त एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 25 पैराग्राफ सम्मिलित हैं। विभागों/सरकार ने ₹8.83 करोड़ से अंतर्निहित 11 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें से 11 मामलों में ₹1.82 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी।